राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप–5) विभाग

क्रमांकः प.9(1)साप्र/5/2020 जयपुर, दिनांकः 14 SEP 2020

आज्ञा

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा आयोजित कनिष्ठ सहायक भर्ती परीक्षा, 2018 की रिजर्व लिस्ट से पिक–अप किये गये अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के कनिष्ठ सहायक भर्ती परीक्षा, 2013 में बैकलॉग के पदों पर चयनित होने के फलस्वरूप राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय सेवा नियम, 1999 के अन्तर्गत विश्राम भवनों में निम्नांकित अभ्यर्थियों को अस्थाई आधार पर कनिष्ठ सहायक के पद पर दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी (Probationer-Trainee) के रूप में नियत पारिश्रमिक 14600/– प्रतिमाह एवं परिवीक्षाकाल संतोषजनक रूप से पूर्ण करने के उपरान्त पे–मैट्रिक्स लेवल संख्या–5 (L-5) पर अधोलिखित शर्तों पर कार्यभार सम्भालने की तिथि से एतद्दारा नियुक्त किया जाता है:–

क्र.सं.	नाम/पिता का नाम/पता	वर्ग	रैंक	रोल नं.	जन्मतिथि
1	श्री भूपेन्द्र कुमार डबरिया पुत्र श्री गणेश नारायण डबरिया, ग्राम पोस्ट–खोरा बीसल, वाया–झोटवाड़ा, जिला–जयपुर, पिन–302012	SC	18579	1370244	24/04/1992
2	श्री रमेश चन्द मीणा पुत्र श्री नाथू लाल मीणा, ढाणी बन्दड़ा, गांव–दादिया पट्टी, पोस्ट–धर्मपुरा, तहसील–जमवारामगढ़, जिला–जयपुर, पिन–303305	ST	22219	1864670	10/10/1993

1. उपर्युक्त अभ्यर्थी को आदेश जारी होने की तिथि से दिनांक 21.09.2020 तक अपने पद का कार्यभार इस विभाग में सम्भालना होगा। जो अभ्यर्थी किसी कारणवश 21.09.2020 तक उक्त पद का कार्यभार संभालने में असमर्थ हो, वे पूर्ण विवरण के साथ कारण स्पष्ट करते हुए निम्न हस्ताक्षरकर्ता को सूचित कर देवें कि कब तक कार्यभार संभालेगे। निर्धारित अवधि में कार्यभार नहीं संभालने अथवा कोई उत्तर प्राप्त नहीं होने की स्थिति में इनके नियुक्ति आदेश निरस्त करने की कार्यवाही की जावेगी।
2. अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व नियत वेतन (Fix Pay) पर कार्य करने की अपनी सहमति लिखित रूप में प्रस्तुत करनी होगी।
3. अभ्यर्थी की नियुक्ति तिथि कनिष्ठ सहायक के पद पर कार्यग्रहण की तिथि से मान्य होगी।
4. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि के दौरान वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना एफ12(6)एफडी/रूल्स/05 दिनांक 13.03.2006, एफ. 6(6)एफडी/रूल्स/2005 दिनांक 13.03.2006, एफ 1(2)एफडी/रूल्स/2006 दिनांक 13.03.2006, एफ. 13(1)एफडी/रूल्स/2003 दिनांक 13.03.2006 एवं राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतमान) नियम, 2017 दिनांक 30.10.2017 के अन्तर्गत नियत पारिश्रमिक (Fixed Remuneration) के हकदार होंगे। इसके अतिरिक्त अन्य भत्ते यथा–मकान किराया भत्ता, मंहगाई भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, विशेष वेतन आदि देय नहीं होगें।
5. परिवीक्षाधीन अवधि (Probation Period) में कोई वार्षिक वेतन वृद्धि देय नहीं होगी।
6. यदि अभ्यर्थी का कार्य एवं आचरण परिवीक्षा अवधि में कभी भी अथवा परिवीक्षाकाल की समाप्ति पर संतोषप्रद नहीं पाया गया अथवा परिवीक्षा काल की समाप्ति पर ली गई विभागीय परीक्षा यदि कोई हो तो, में असफल रहने पर उन्हें बिना किसी क्षतिपूर्ति के सेवा से किसी भी समय विमुक्त किया जा सकेगा।
7. यह नियुक्ति पूर्णतयाः अस्थाई आधार पर है, परन्तु राज्य सरकार इनके कार्य एवं आचरण की रिपोर्ट के आधार पर एवं अन्य रूप से स्थाईकरण के लिए उपयुक्त समझे जाने की

—P.T.O.—

दशा में जब कभी स्थाई रिक्त पद उपलब्ध होंगे, इनको कनिष्ठ सहायक के पद पर राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय सेवा नियम, 1999 के अन्तर्गत स्थाई आधार पर नियुक्त कर सकेगी।

8. दो वर्ष की परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि में संतोषजनक सेवा पूर्ण करने के उपरान्त ही इनका वेतन निर्धारण कनिष्ठ सहायक के पद पर पे–मैट्रिक्स लेवल संख्या–5 (L-5) में नियमानुसार अन्य भत्ते देय होगे।
9. परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि में अन्य सुविधा या अवकाश आदि राजस्थान सेवा नियमों में संशोधित प्रावधानों के अनुसार देय होगें।
10. राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश संख्या एफ0 13(1)वित्त/नियम/2003 दिनांक 28.01.2004 एवं 27.03.2004 के तहत अंशदायी पेंशन योजना के प्रावधान लागू होगें एवं अन्य आदेश जो राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये हो, उनके अधीन ही सेवा एवं सेवालाभ देय होगें।
11. जो अभ्यर्थी पूर्व से ही नियमित राज्य सेवा में कार्यरत है, उन्हें राज्य सरकार के नियमानुसार ही वेतन भत्ते देय होगें, परन्तु पदस्थापन पर कार्यग्रहण के समय पूर्व नियोजक के द्वारा उचित माध्यम (Through Proper Channel) से कार्यमुक्त किये जाने का आदेश एवं गत भुगतान प्रमाण–पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।
12. यदि किसी अभ्यर्थी के दस्तावेजों में कोई कमी अथवा दस्तावेज फर्जी पाये जाते है, तो राज्य सरकार इनकी सेवाएं तत्काल समाप्त कर सकेगी।
13. सभी अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत एटस्टेशन फार्म एवं स्व–घोषणा के आधार पर यह अस्थाई नियुक्ति दी जा रही है। पुलिस विभाग द्वारा प्रेषित चरित्र सत्यापन रिपोर्ट में कोई भी विपरीत तथ्य पाये जाने पर चयनित अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त करते हुए उनका चयन निरस्त किया जा सकेगा।
14. सभी अभ्यर्थियों की जन्म तिथि उनके द्वारा प्रस्तुत सैकण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण करने के मूल प्रमाण–पत्र के आधार पर अंकित की गई है। अंकित की गई जन्म तिथि अपरिवर्तनीय होगी।
15. चयनित अभ्यर्थियों के अपने से वरिष्ठ/कनिष्ठ के पूर्व में एवं बाद में कार्यभार ग्रहण करने की स्थिति में इनकी वरिष्ठता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इनकी वरिष्ठता का निर्धारण राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड से रैंक सूची के आधार पर ही होगा।
16. अभ्यर्थी को कार्यभार सम्भालने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

राज्यपाल की आज्ञा से

14/9/2020

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)

विशिष्ट शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क–2) विभाग।
2. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (नियम) विभाग।
3. उप शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार (ग्रुप–3) विभाग।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग।
5. संबंधित अभ्यर्थी।
6. निजी पत्रावली में रखने हेतु।
7. रक्षित पत्रावली।

14/9/2020

विशिष्ट शासन सचिव